

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अअ-पी०पी०एण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/प्रे० 1476 दिनांक 24/10/02

आदेश

पूर्व में निगम के परिपत्र क्रमांक/जोविनिनिलि/अअपीपीएम/फा सा/प्रे संख्या 614 दिनांक 20.6.2002(आर.ई.ओ.22)के द्वारा जिन आवेदकों के मांग पत्र दिनांक 1.4.1999 से 31.3.2002 तक किन्ही कारणों से जमा नहीं हुये तथा पत्रावली निरस्त कर दी गई उन्हे 15 जून से 15 अगस्त तक रुपये 500/जमा करवा कर पत्रावली पुर्नजीवित करवाने का प्रावधान किया हुआ था। अब कृषि उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त राहत देने के उद्देश्य से उपरोक्त परिपत्र में संशोधन किया जाकर ऐसे समस्त उपभोक्ता जिनके आवेदन अप्रैल,1999 के बाद मांग पत्र जमा नहीं कराने के कारण निरस्त हो गये हैं उनको दिसम्बर,2002 तक आवेदन को पुर्नजीवित कराने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। संशोधित मांग पत्र वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार दिये जायेंगे। अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।



(एच०एस०देवडा)

उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

जे/पी